प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 434/2006

पंकज लकड़ा

-बनाम-

छत्तीसगढ़ राज्य

आदेश हेतु सूचीबद्ध किया जाए: 10.08.2006

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

दिलीप रावसाहेब देशमुख

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 434/2006

एकल पीठः माननीय न्यायमूर्ति श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायाधीश

पंकज लकड़ा

-बनाम-

छत्तीसगढ़ राज्य

श्री जे.के. शास्त्री, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता।

श्री आशीष शुक्ला, राज्य के लिए शासकीय अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(2 जनवरी, 2006)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय न्यायमूर्ति श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख द्वारा पारितः

1. यह अपील श्री जी.सी. बाजपेयी, सत्र न्यायाधीश, जशपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 101/2005 में दिनांक 25.04.2006 को दिए गए निर्णय के विरुद्ध है, जिसके तहत अपीलार्थी को धारा 363, 366, 376 (1) और 341 भा.दं.सं. के तहत दोषी ठहराया गया था और धारा 363, 366, 376 (1) के तहत क्रमशः दो वर्ष, पांच वर्ष और सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी और धारा 341 भा.दं.सं. के तहत एक माह के साधारण कारावास की सजा भी सुनाई गई थी। सजाएं साथ-साथ चलने का आदेश दिया गया था।

2. संक्षेप में कहा जाए तो अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 26.07.2005 को लगभग 13 वर्षीय अभियोक्त्री को उसकी मां कलदीना अभियोजन साक्षी क्र. 2 ने खान की दुकान से सोयाबीन के टुकड़े लाने के लिए भेजा था। अभियोक्त्री अपने घर से साइकिल पर निकली और खान की दुकान से सोयाबीन के टुकड़े खरीदने के बाद घर लौट रही थी। स्कूल के पास, अपीलकर्ता पंकज लकड़ा, अभियोक्त्री के चचेरे भाई प्रताप के साथ खड़ा था। प्रताप ने उसे बुलाया और उससे अपनी साइकिल देने को कहा। अभियोक्त्री ने अपनी साइकिल प्रताप को दे दी, जो वहां से चला गया। इसके बाद अपीलकर्ता ने अभियोक्त्री का हाथ पकड़ा और उसे स्कूल के कमरे के अंदर खींच लिया। उसने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन अपीलकर्ता ने उसका मुंह बंद कर दिया। प्राथमिक विद्यालय, भंडारी के रसोईघर के कमरे के अंदर, अपीलकर्ता ने अपना अंडरवियर और अभियोक्त्री का अंडरवियर भी उतार दिया और अभियोक्त्री के साथ बलात्कार किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. इस बीच, चूंकि अभियोक्त्री घर नहीं लौटी, तो उसकी मां ने अपने बेटे अमोल बाड़ा को उसकी तलाश में भेजा। अमोल अभियोक्त्री की साइकिल लेकर लौटा और उसे बताया कि उसकी मुलाक़ात प्रताप से हुई थी, जिसने उसकी साइकिल उसे दे दी थी। इस सूचना के बाद, कलदीना अभियोजन साक्षी क्र. 2 स्वयं अभियोक्त्री की तलाश में गई। जब वह स्कूल के रसोईघर में दाखिल हुई, तो उसने देखा कि अपीलकर्ता अभियोक्त्री के साथ बलात्कार कर रहा था। उसने अपीलकर्ता को उसकी गर्दन से पकड़ लिया। अभियोक्त्री ने उसे बताया कि जब भी वह चिल्लाना चाहती थी, अपीलकर्ता उसका मुंह बंद कर देता था और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करता था। अपीलकर्ता घटनास्थल से भाग गया।

4. अभियोक्त्री द्वारा 27.07.2005 को दोपहर 1:30 बजे 10 किलोमीटर पूर्व में स्थित थाना कुनकुरी में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई। 28.07.2005 को, चिकित्सीय परीक्षण में, डॉ.

संगीता तिर्की अभियोजन साक्षी क्र. 8 ने पाया कि अभियोक्त्री की योनिच्छद पूरी तरह से और ताजा रूप से छिद्र थी, जिसने अपने गुप्तांगों में दर्द की शिकायत की थी। यह राय थी कि अभियोक्त्री के साथ संभोग किया गया था। उस पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई। डॉ. एस. टोप्पो अभियोजन साक्षी क्र. 3 ने 01.08.2005 को अपीलकर्ता की चिकित्सकीय जांच की और राय दी कि वह संभोग करने में सक्षम है। डॉ. जॉर्ज द्वारा आयु की पुष्टि के लिए अभियोक्त्री की रेडियोलॉजिकल जांच की गई। 13.09.2005 की राय के अनुसार यह अनुमान लगाया गया कि अभियोक्त्री की आयु 15 से 17 वर्ष के बीच थी।

5. जांच पूरी होने के बाद, अपीलकर्ता पर भा.दं.सं. की धारा 341, 363 और 376 के तहत मुकदमा चलाया गया। विद्वान विचरण न्यायालय के न्यायाधीश ने भा.दं.सं. की धारा 341, 363, 366 और 376 (1) के तहत आरोप तय किए। अपीलकर्ता ने अपराध अस्वीकार किया। अपीलकर्ता द्वारा बचाव में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया। अभियोजन पक्ष ने 8 गवाहों की जांच की। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ता को पैरा 1 में पूर्वोक्त रूप से दोषी ठहराया और सजा सुनाई, यह निष्कर्ष दर्ज करने के बाद कि अभियोक्त्री की आयु घटना के दिनांक पर 16 वर्ष से अधिक थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री जे.के. शास्त्री ने इस आधार पर आक्षेपित निर्णय का विरोध किया है कि अभियोक्त्री के साक्ष्य ने स्पष्ट रूप से साबित कर दिया है कि अपीलकर्ता द्वारा अभियोक्त्री के साथ किए गए यौन संबंध में उसकी सहमति थी। यह तर्क दिया गया कि विद्वान विचरण न्यायाधीश ने पैरा 9 में स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया था कि अभियोक्त्री की आयु घटना के दिनांक पर 16 वर्ष से अधिक थी। यह तर्क दिया गया कि पैरा 8 में डॉ. संगीता तिर्की अभियोजन साक्षी क्र. 8 की गवाही ने भी यह स्थापित किया है कि अभियोक्त्री की आयु घटना के दिनांक पर 16 वर्ष से अधिक थी। केवल इसी आधार पर यह तर्क दिया गया

कि अपीलकर्ता की भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376 (1) और 341 के तहत दोषसिद्धि अपास्त की जानी चाहिए।

7. दूसरी ओर, विद्वान सरकारी वकील श्री आशीष शुक्ला ने आक्षेपित फैसले के समर्थन में बहस करते हुए कहा कि अभियोक्त्री का साक्ष्य पूरी तरह से अखंडित है कि अपीलकर्ता ने उसकी सहमति के बिना उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए थे। साक्ष्य अधिनियम की धारा 114-ए के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ एक अनुमान उठता है, जो उसके द्वारा पूरी तरह से अखंडित था। यह भी आग्रह किया गया कि अभियोक्त्री की गवाही के पैराग्राफ 17 में अपीलकर्ता द्वारा दुश्मनी के कारण झूठे फंसाने का बचाव भी किया गया था। इस मामले के दृष्टिकोण से, अपीलकर्ता द्वारा किए गए यौन कृत्य में अभियोक्त्री की सहमति का बचाव पूरी तरह से खारिज करने योग्य था। मध्य प्रदेश राज्य बनाम बालू, **[2005** सुप्रीम कोर्ट केसेस **(क्राइम) 270 (पैरा 14)]** का अवलंब लिया गया। अंत में, यह तर्क दिया गया कि डॉ. संगीता तिर्की अभियोजन साक्षी क्र. 8 के चिकित्सीय साक्ष्य ने स्पष्ट रूप से अभियोजन पक्ष के साथ अपीलकर्ता द्वारा हिंसक बलपूर्वक बलात्कार की पुष्टि की, जिसने अभियोजन पक्ष की सहमति के बचाव को पूरी तरह से नकार दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुनने के बाद, मैंने सत्र मामला संख्या 101/2005 के अभिलेख का अवलोकन किया है। अभियोजन पक्ष अभियोजन साक्षी क्र. 1 और उसकी मां कलदीना अभियोजन साक्षी क्र. 2 की पूरी तरह से अखंडित गवाही ने साबित कर दिया कि अभियोजन पक्ष को उसकी मां ने शाम 6 बजे खान की दुकान से सोयाबीन के टुकड़े लाने के लिए भेजा था। अभियोक्त्री ने गवाही दी कि जब वह खान की दुकान से लौट रही थी, प्रताप ने उसे बुलाया और उसकी साइकिल ले ली। इसके बाद, अपीलकर्ता ने उसका हाथ पकड़ा और उसे स्कूल के रसोईघर के अंदर खींच लिया। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि अपीलकर्ता ने स्कूल के

कमरे के अंदर उसके साथ यौन संबंध बनाए। उसकी गवाही की पुष्टि उसकी माँ कलदीना अभियोजन साक्षी क्र. 2 ने भी की है, जिसने अपीलकर्ता को अभियोक्त्री के साथ बलात्कार करते देखा था। कलदीना अभियोजन साक्षी क्र. 2 ने यह भी कहा है कि अभियोक्त्री ने उसे बताया था कि अपीलकर्ता उसके साथ जबरन बलात्कार कर रहा था और जब भी वह चिल्लाने की कोशिश करती थी, तो अपीलकर्ता उसका मुँह बंद कर देता था। उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि पूछे जाने पर, अपीलकर्ता ने कहा था कि वह अभियोक्त्री को जबरन वहाँ लाया था और उसके साथ बलात्कार कर रहा था। कलदीना अभियोजन साक्षी क्र. 2 और अभियोक्त्री की गवाही, प्रतिपरीक्षण में पूरी तरह से अखंडित रही। बहस के दौरान, अपीलकर्ता के विद्वान वकील, श्री जे.के. शास्त्री ने भी विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दर्ज इस निष्कर्ष पर कोई आपत्ति नहीं जताई कि अपीलकर्ता ने अभियोक्त्री के साथ यौन संबंध बनाए थे। डॉ. संगीता तिर्की अभियोजन साक्षी क्र. 8 की गवाही ने भी संदेह से परे स्थापित किया कि अभियोक्त्री के साथ जबरदस्ती संभोग किया गया था, क्योंकि उन्होंने पाया कि अभियोक्त्री की योनिच्छद पूरी तरह से और ताजा रूप से छिद्र थी, जिसके गुप्तांगों में दर्द हो रहा था। इस प्रकार यह संदेह से परे स्थापित हो गया कि अपीलकर्ता ने स्कूल के रसोईघर के अंदर अभियोक्त्री के साथ संभोग किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. इस अपील में अब एकमात्र बिंदु जिस पर विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या अपीलकर्ता द्वारा अभियोक्त्री के साथ किया गया संभोग उसकी सहमति से था। यह ध्यान देने योग्य है कि अभियोक्त्री के प्रतिपरीक्षण के पैराग्राफ 17 में अपीलकर्ता ने यह तर्क दिया था कि पारिवारिक विवाद के कारण अभियोक्त्री ने उसे झूठा फंसाया था। अपीलकर्ता द्वारा उठाया गया यह बचाव बलात्कार के दौरान अभियोक्त्री की सहमति के सिद्धांत को पूरी तरह से ध्वस्त करता है। डॉ. संगीता तिर्की (अभियोजन साक्षी क्र. 8) का चिकित्सीय साक्ष्य भी

अपीलकर्ता द्वारा दिए गए सहमति के बचाव को नकारता है, क्योंकि उन्होंने पाया कि अभियोक्त्री की योनिद्वार पूरी तरह से फटी हुई थी और अभियोक्त्री के गुप्तांगों में दर्द हो रहा था। अभियोक्त्री ने अपनी गवाही के पैराग्राफ 6 और 16 में स्पष्ट रूप से कहा है कि अपीलकर्ता ने उसके साथ जबरन बलात्कार किया और जब भी उसने चिल्लाने की कोशिश की, उसका मुँह बंद कर दिया। कलदीना (अभियोजन साक्षी क्र. 2) ने भी अपनी गवाही के पैराग्राफ 5 में इसकी पुष्टि की है। अपीलकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपनी जाँच में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।

10. साक्ष्य अधिनियम की धारा 114-ए के तहत, जहां यह साबित हो जाता है कि अभियुक्त/अपीलकर्ता ने अभियोक्त्री के साथ यौन संबंध बनाए थे और अभियोक्त्री ने न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में कहा कि उसने यौन संबंध के लिए सहमति नहीं दी थी, न्यायालय यह अनुमान लगाएगा कि अभियोक्त्री ने यौन संबंध के लिए सहमति नहीं दी थी। अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जो दर्शाता हो कि अभियोक्त्री अपीलकर्ता से प्रेम करती थी या उससे मिलने गई थी। कलदीना अभियोजन साक्षी क्र. 2 की गवाही से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अपीलकर्ता उनके घर मिलने भी नहीं गया था। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मध्य प्रदेश राज्य बनाम बालू, **[2005 (क्राइम) 270 (पैरा 14)]** में कहा गया है, पूर्व दुश्मनी के कारण झूठे फंसाने का बचाव इस प्रकार अपीलकर्ता द्वारा ली गई सहमति के बचाव को स्पष्ट रूप से नकारता है। साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि अभियोक्त्री की माँ ने उसे खान की दुकान से सोयाबीन के टुकड़े लाने के लिए साइकिल पर भेजा था और अपीलकर्ता ने अपनी साइकिल प्रताप को देने के बाद अभियोक्त्री को जबरन स्कूल के कमरे में ले गया था। इस प्रकार, अभिलेख में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह पता चले कि अभियोक्त्री ने यौन संबंध के लिए सहमति दी थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. यह साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है कि घटना के दिन अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष से कम थी। अभियोक्त्री की आयु निर्धारित करने के लिए माता-पिता का साक्ष्य सर्वोत्तम साक्ष्य है। यदि घटना के दिन अभियोक्त्री की आयु साबित करने के लिए अभिलेख पर ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य मौजूद हैं, तो अस्थिभंग परीक्षण करने वाले रेडियोलॉजिस्ट की यह राय कि अभियोक्त्री की आयु 15 से 17 वर्ष के बीच थी, दृश्य साक्ष्य को खारिज करने के लिए पर्याप्त और न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं होगी, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने विष्णु उर्फ उंद्रिया बनाम महाराष्ट्र राज्य **[(2006) 1** एस.सी.सी. **(क्राइम) 217]** में माना था। रेडियोलॉजिस्ट की राय, क्योंकि वह तथ्य का गवाह नहीं है, केवल न्यायालय की सहायता के लिए है और वास्तव में सलाहकार प्रकृति की है और तथ्य के गवाहों पर बाध्यकारी नहीं है। इसमें निहित दोनों पक्षों के लिए कानूनी रूप से स्वीकार्य दो वर्ष की त्रुटि का संभावना दर्शाता है कि यह केवल आयु का अनुमान है, बाध्यकारी प्रकृति का नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. अभियोजन पक्ष ने न तो अस्थिभंग की रिपोर्ट साबित की और न ही रेडियोलॉजिस्ट डॉ. जॉर्ज से पूछताछ की। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने डॉ. संगीता तिर्की अभियोजन साक्षी क्र. 8 को रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के आधार पर एक राय देने के लिए कहा। हालाँकि, डॉ. संगीता तिर्की अभियोजन साक्षी क्र. 8 रेडियोलॉजिस्ट नहीं थीं और इसलिए अभियोक्त्री की उम्र के बारे में कोई राय देने के लिए विशेषज्ञ नहीं थीं। अभियोक्त्री की जांच करते समय उन्होंने स्वयं अपने अनुमान में रिपोर्ट प्रदर्श पी.18 के अनुसार उसकी उम्र 13 वर्ष बताई थी। ग्राम भंडरी के कोटवार द्वारा बनाए गए अभियोक्त्री के जन्म रजिस्टर के जब्ती ज्ञापन प्रदर्श पी.8 से स्पष्ट रूप से पता चला कि अभियोक्त्री की जन्मतिथि उसमें 26.11.1991 दर्ज की गई थी।

13. अभियोक्त्री अभियोजन साक्षी क्र. 1 ने यह भी कहा था उसकी माँ कलदीना अभियोजन साक्षी क्र. 2 ने भी स्पष्ट रूप से गवाही दी थी कि अभियोक्त्री की आयु केवल 13 वर्ष थी।

अभियोक्त्री की गवाही से पता चला कि वह आठवीं कक्षा में पढ़ती थी। कलदीना अभियोजन साक्षी क्र. 2 की प्रतिपरीक्षण से यह भी पता चला कि अभियोक्त्री कभी किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं हुई थी। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अभियोक्त्री का साक्ष्य दर्ज करते समय अभियोक्त्री की आयु 13 वर्ष होने का अनुमान भी लगाया था। संक्षेप में, अभियोक्त्री की आयु के संबंध में निम्नलिखित सामग्री अभिलेख पर उपलब्ध थी:

क) विद्वान सत्र न्यायाधीश ने 10.01.2006 को, अर्थात् घटना के कम से कम छह महीने बाद, उसका साक्ष्य दर्ज करते समय अभियोक्त्री की आयु 13 वर्ष आंकी थी।

ख) दिनांक 28.07.2005 को अभियोक्त्री की जाँच के बाद डॉ. संगीता तिर्की (अ.सा.8) ने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी.19 में सकारात्मक दावा किया था कि अभियोक्त्री की आयु 13 वर्ष थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ग) ग्राम भंडरी के कोटवार द्वारा बनाए गए जन्म रजिस्टर के जब्ती ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया था कि अभियोक्त्री की जन्मतिथि 26.11.1991 दर्ज की गई थी, जिसका अर्थ है कि अभियोक्त्री की आयु 14 से 15 वर्ष के बीच थी।

घ) कलदीना (अ.सा.2) ने सकारात्मक दावा किया था कि अभियोक्त्री की आयु 13 वर्ष थी, जो प्रतिपरीक्षण में पूरी तरह से अखंडित था।

ङ) अभियोक्त्री (अ.सा.1) और कलदीना (अ.सा.2) की गवाही पूरी तरह से अखंडित थी कि अभियोक्त्री आठवीं कक्षा में पढ़ रही थी और कभी किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं हुई थी। यदि यह मान भी लिया जाए कि अभियोक्त्री को 5 वर्ष की आयु में कक्षा-1 में प्रवेश मिला था, तो भी घटना के दिन उसकी आयु 13 वर्ष होगी, क्योंकि उस समय वह कक्षा-7 में पढ़ रही होगी।

च) अभियोक्त्री या उसकी माँ कलदीना अभियोजन साक्षी क्र. 2 से प्रतिपरीक्षण के दौरान बचाव पक्ष द्वारा ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया कि अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष से अधिक थी।

छ) डॉ. संगीता तिर्की अभियोजन साक्षी क्र. 8 रेडियोलॉजिस्ट न होने के कारण रेडियोलॉजिकल परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर राय देने के लिए विशेषज्ञ नहीं थीं।

14. इस मामले के दृष्टिकोण से, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने डॉ. संगीता तिर्की अभियोजन साक्षी क्र. 8 द्वारा अभियोक्त्री के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के संबंध में दर्ज निष्कर्षों और अप्रमाणित दस्तावेज़ यानी अस्थिभंग परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर केवल यह निष्कर्ष निकालने में त्रुटि की कि उसकी आयु 16 वर्ष से अधिक थी।

15. अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोक्त्री की आयु से संबंधित प्रस्तुत मौखिक और निर्विवाद साक्ष्य इस प्रकार यह स्थापित करते हैं कि अभियोक्ता घटना के दिन 16 वर्ष से कम आयु की थी। इस दृष्टिकोण से, अपीलकर्ता द्वारा यौन संबंध बनाने में उसकी सहमति, यदि कोई हो, भारतीय दंड संहिता की धारा 375 की उपधारा 6 के अंतर्गत पूरी तरह से अप्रासंगिक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. इन परिस्थितियों में, अभियुक्त की भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 363, 366, 376(1) तथा 341 के अंतर्गत दोषसिद्धि और उन धाराओं के अन्तर्गत सुनायी गई सज़ा ठीक पाई गई है और उनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

17. यह अपील निराधार होने के कारण खारिज की जाती है।

सही/-
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश
10.08.2006

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Adv. Tara Chandra Chouhan

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur